

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 220

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946(शक) को दिया जाना है)

प्रत्यक्ष कर मामलों में गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना

220. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, विशेषकर मध्यम और लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर मामलों में गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामलों में मुकदमेबाजी प्रबंधन के लिए पहल शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर:

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हाँ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में संशोधन करके धारा 276क (जिसमें न्यूनतम छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है) को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जो कि परिसमापक द्वारा 30 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को अपनी नियुक्ति की सूचना देने में विफल रहने या परिसमापन के तहत कंपनी की किसी भी संपत्ति से अधिसूचित राशि को अलग रखने या अलग करने में विफल रहने से संबंधित है। दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा अधिनियम की धारा 276क में एक सनसेट क्लॉज प्रस्तुत किया है, जिसमें 01.04.2023 को या उसके बाद धारा 276क के तहत किसी भी प्रकार की नई कार्यवाही शुरू ना किए जाने का निर्धारण किया गया है।

अधिनियम की धारा 276 ख के खंड (क) के तहत, कटौतीकर्ता के खिलाफ केंद्र सरकार के खाते में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान निर्धारित नियत तिथि के बाद किए जाने की स्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता था। इस प्रावधान को अब 01.10.2024 से प्रभावी, वित्त अधिनियम (सं. 2), 2024 के द्वारा संशोधित किया गया है, जोकि संबंधित तिमाही के लिए टीडीएस विवरण दाखिल करने के लिए निर्धारित नियत तिथि को या उससे पहले सरकार के खाते में काटे गए टीडीएस का भुगतान किए जाने पर कटौतीकर्ता के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही पर रोक लगाता है।

इसके अतिरिक्त, के.प्र.क.बो. ने दिनांक 17.10.2024 को अधिनियम की धारा 279(2) के तहत अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कई सरलीकरण के उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 275क और 275ख के तहत अपराधों को शमनीय बनाना, शमन आवेदन दाखिल करने के लिए अवसरों और समय पर से सीमाएं हटाना, शमन शुल्क के विलंबित भुगतान पर लगने वाले ब्याज को समाप्त करना, विभिन्न अपराधों के लिए शमन शुल्क कम करना, सह-आरोपी से अलग शमन शुल्क हटाना आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामलों में मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. संयुक्त आयुक्त (अपील) के 100 नए पदों का सृजन , जो वर्तमान में पूर्णतः कार्यरत हैं।
- ii. छोटे करदाताओं को त्वरित और प्रभावी विवाद समाधान प्रदान करने के लिए के.प्र.क.बो. द्वारा ई-विवाद समाधान योजना, 2022 (ई-डीआरएस) की अधिसूचना।
- iii. आयकर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये किया गया है।
- iv. के.प्र.क.बो. द्वारा प्रशासनिक उपाय जैसे कि पुरानी और उच्चतम मांग वाली अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए पहचान करना , अतिरिक्त प्रभार सौंपकर जनशक्ति में वृद्धि करना आदि।
- v. मुकदमेबाजी को कम करने और करदाताओं के बीच विश्वास विकसित करने के लिए विवाद से विश्वास योजना, 2024 की अधिसूचना ।
- vi. वित्त अधिनियम (सं. 2), 2024 के तहत आयुक्त (अपील) को एकपक्षीय मूल्यांकन आदेशों को अपास्त करने का अधिकार देना ।
